

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
"मंत्रालय"

2316

क्रमांक 12,33/2015/20-2

दिनांक. 06/10/2015

प्रति,

कलेक्टर समस्त,

मध्य प्रदेश।

विषय:- प्रदेश में शत - प्रतिशत आधार पंजीयन माह दिसंबर 2015 तक पूर्ण किये जाने हेतु 'आधार बनाये अभियान' चलाये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रदेश की 2011 की जनगणना के आधार पर 7.26 करोड़ की जनसंख्या में से 5.72 करोड़ व्यक्तियों का आधार पंजीयन किया जा चुका है । लगभग सभी जिलों में अब तक आधार पंजीयन का कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित हुआ है । प्रदेश में आधार पंजीयन के कार्यों को दिसम्बर 2015 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रदेश में "आधार बनाये अभियान" संचालित किया जाना है । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये प्रदेश में 20 अक्टूबर से प्रतिदिन लगभग 3.52 लाख आधार पंजीयन किये जाने होंगे । प्रदेश में शत प्रतिशत आधार पंजीयन का लक्ष्य दिसम्बर 2015 तक प्राप्त करने हेतु प्रदेश में अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में टास्क फ़ोर्स कमेंटी का गठन किया गया है ।

2. प्रदेश में जनसंख्या, आधार पंजीयन एवं शेष आधार पंजीयन, उपलब्ध मशीनों एवं आवश्यक अतिरिक्त मशीनों की संख्या का विवरण "परिशिष्ट - 1" पर संलग्न है। प्रदेश में शेष आधार पंजीयन की स्थिति निम्नानुसार है:-

आयु वर्ग	शेष आधार पंजीयन संख्या (लाख में)
0-5 वर्ष	67.30
5-18 वर्ष	87.50
18 वर्ष से अधिक	56.60
कुल	211.40

उपरोक्त तथा परिशिष्ट - 1 पर प्रदर्शित आंकड़ों से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आधार पंजीयन का अंतर स्कूल, कॉलेजों एवं आँगनवाड़ी में दर्ज बच्चों की संख्या में है।

3. आधार पंजीयन की पूर्व तैयारियां : -

सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आधार पंजीयन सम्बन्धी पूर्व में जारी निर्देश दिनांक 07.08.2015, 20.08.2015, 06.10.15 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिनमें आधार पंजीयन की पूर्व तैयारियों का लेख है। आधार पंजीयन की पूर्व तैयारियों के मुख्य क्रियान्वयन बिंदु निम्नानुसार है:-

उपरोक्त अनुसार प्रपत्र क्रमांक 1 एवं प्रपत्र क्रमांक 2 की जानकारी दिनांक 13.10.2015 तक संग्रहित कर दिनांक 14.10.2015 तक uidprojectmp@gmail.com मेल पर MPSEDC को भिजवायें।

4. **आधार पंजीयन का क्रियान्वयन :** - कंडिका 3 में उल्लेखित कैंप स्थलों के निर्धारण के पश्चात् निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- (i) जिला स्तरीय UID कमेटी की बैठक में महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, आदिमजाति कल्याण तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा महाविद्यालय, आईटीआई, के प्राचार्य तथा संबधित अधिकारियों के साथ कैंप की व्यवस्था एवं संचालन के संबध में विस्तृत चर्चा कर कैंप के सफल संचालन की रणनीति तैयार की जाये।
- (ii) विकास खंड स्तर पर भी विकास खंड स्तरीय UID कमेटी की बैठक आयोजित कर कैंप तिथियों के व्यापक प्रचार - प्रसार की व्यवस्था की जाये।

5. **कैंप की व्यवस्थाएं :** -

- (i) कैंप स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि कैंप में सुनिश्चित व्यवस्थायें या पर्याप्त व्यक्ति नहीं आते हैं तो कैंप का उद्देश्य विफल हो जायेगा।
- (ii) पंजीयन एजेन्सियों की उपस्थिति सुनिश्चित करायें।
- (iii) नोडल अधिकारी कैंप में उपस्थित रहना सुनिश्चित करायें।
- (iv) कैंप स्थल पर बिजली, पानी एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायें।
- (v) विद्यार्थियों को कैंप स्थल पर जन्म तिथि प्रमाण पत्र/राशन कार्ड की प्रति एवं 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को माता/पिता के साथ माता/पिता के आधार कार्ड की प्रति सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाना होगा।

6. **आधार पंजीयन हेतु अतिरिक्त किट (मशीन/टेबलेट) की व्यवस्था:-**

जिले में लक्षित जनसंख्या (जिनका अभी तक आधार पंजीयन नहीं हुआ है), के आधार पर अतिरिक्त किटों की संख्या परिशिष्ट एक पर दर्शायी गयी है। अतिरिक्त किटों की पूर्ति निम्नानुसार की जानी होगी:-

- (i) EA के माध्यम से अतिरिक्त पंजीयन किट की व्यवस्था।
- (ii) DeGS के माध्यम से पंजीयन किट का क्रय। क्रय हेतु निर्देश प्रथक से जारी किये जा रहे हैं। आवश्यकता अनुसार क्रय की कार्यवाही 30 अक्टूबर 2015 तक पूर्ण की जाये।
- (iii) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को स्थायी पंजीयन केंद्र (PEC) योजना से जोड़ना।

7. **आधार पंजीयन की समीक्षा :** -

- (i) कैंप आयोजन के पश्चात् पंजीयन एजेन्सियों द्वारा कैंप में एकत्रित की गई पंजीयन की जानकारी UIDAI के वैबपोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- (ii) प्रत्येक कैंप के नोडल अधिकारी द्वारा दैनिक जानकारी DeGM को निम्न प्रपत्र में उपलब्ध कराई जाये।


कैंप का स्थान	कैंप का दिनांक	लक्षित पंजीयन की संख्या	किये गए पंजीयन की संख्या
---------------	----------------	-------------------------	--------------------------

- (iii) DeGMS द्वारा कैंपों की दैनिक जानकारी MPSEDC को पोर्टल uidprojectmp@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाये।
- (iv) MPSEDC द्वारा आधार पंजीयन की दैनिक प्रगति मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को प्रतिदिन प्रेषित की जाएगी।

8. मुख्य तिथियाँ:-

- (i) स्कूलों/ आँगनवाडियों में कैंप प्लान एवं रूट-चार्ट की कार्य योजना दिनांक 14 अक्टूबर तक भेजना।
- (ii) आवश्यकतानुसार आधार पंजीयन उपकरणों का क्रय 30 अक्टूबर तक 2015 तक करना।
- (iii) आधार पंजीयन का पूर्ण कार्य 31 दिसम्बर 2015 तक कराना।

कृपया ऊपर उल्लेखित बिन्दुओं पर युद्ध-स्तर पर कार्यवाही प्रारंभ करें। प्रदेश में आधार पंजीयन का कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण किया जाना है। अतः इस हेतु आयोजित कैंपों को सफल बनाने के लिए जिले की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए "आधार बनायें अभियान" की रणनीति तैयार कर, दिसम्बर 2015 तक आधार पंजीयन के कार्य को पूर्ण करायें।


अपर मुख्य सचिव

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

2316


पृ. क्र. 1934/2316/2015/20-2

भोपाल दिनांक 6.10.2015

प्रतिलिपि : -

1. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश भोपाल।
8. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्य प्रदेश।
9. विकास आयुक्त/आयुक्त, नगरीय प्रशासन/लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/प्रमुख राजस्व आयुक्त/आयुक्त, महिला एवं बाल विकास/संचालक रोजगार एवं स्किल डेव्हलपमेंट।
10. संभागायुक्त समस्त, मध्य प्रदेश।

11. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, स्टेट आई.टी. सेंटर, अरेरा हिल्स, भोपाल।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नालॉजी (मैप-आई.टी.), स्टेट आई.टी. सेंटर, अरेरा हिल्स, भोपाल।


6/10/15

Deputy Secretary
Govt. of Madhya Pradesh,
School Education Deptt.